संतुलित निवेश के लिए अब प्रदेश में होंगे चार क्षेत्र

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ।

सभी क्षेत्रों में संतुलित निवेश हो, इसके लिए प्रदेश के चार क्षेत्र बनाए जाएंगे। वर्तमान में तीन क्षेत्र हैं। इसके अलावा सरकार ने निवेशकों के सुझाव पर स्टांप शुल्क छूट की सीमा क्षेत्रों के हिसाब से बढ़ाने का भी मन बना लिया है। वित्त विभाग से विचार-विमर्श कर इस पर फैसला किया जाएगा।

प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति पर आए सुझावों पर मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद उसे अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। औद्योगिक विकास विभाग ने नीति के ड्राफ्ट में पूर्वांचल व बुंदेलखंड में निवेश पर शत प्रतिशत, मध्यांचल में 60 प्रतिशत तथा पश्चिमांचल में 50 प्रतिशत की दर से छूट देने का प्रस्ताव किया था। बताया जाता है कि निवेशकों ने इसे नाकाफी बताया था और इसमें बढ़ोतरी का सुझाव दिया।

सूत्र बताते हैं कि सहूलियतों के लिहाज से प्रदेश को तीन क्षेत्रों की जगह चार क्षेत्र बनाने का फैसला हुआ है। पूर्वांचल व बुंदेलखंड पहले की तरह एक क्षेत्र में रहेगा। मध्यांचल की स्थिति भी पहले की तरह रहेगी। पश्चिमांचल को दो हिस्से में बांट दिया जाएगा। निवेश की दृष्टि से सबसे ज्यादा आकर्षक नोएडा व ग्रेटर नोएडा को पश्चिमांचल से अलग करने की तैयारी है। इससे नोएडा व ग्रेटर नोएडा एक अलग क्षेत्र बन जाएगा। पश्चिमांचल के बाकी क्षेत्र दूसरे हिस्से में होंगे।

पश्चिम से अलग नोएडा व ग्रेटर नोएडा नया क्षेत्र बनेगा

निवेशकों के स्टांप शुल्क में छूट का नए सिरे से निर्धारण

इसी महीने औद्योगिक नीति को मंजूरी संभव : नई औद्योगिक नीति को इस महीने की आखिरी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दिलाई जा सकती है। औद्योगिक विकास विभाग ने इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी है।

उड्डयन क्षेत्र भी होगा नीति का हिस्सा : नई औद्योगिक नीति में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को भी शामिल करने की तैयारी है। नीति में इससे जुड़े तथ्य शामिल करने का भी फैसला हुआ है।

23 को पर्यटन क्षेत्र के उद्यमियों का समागम : राजधानी में 23 जून को पर्यटन क्षेत्र के उद्यमियों का बड़ा समागम करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर सकते हैं। प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को निवेश के बेहतर गंतव्य के रूप में किस तरह पेश किया जाए, इस पर विचार-विमर्श हो सकता है।

जानकारी के अनुसार,मुख्यमंत्री ने औद्योगिक नीति में स्टांप शुल्क छूट का दायरा बढ़ाने पर सहमति दे दी है। किस क्षेत्र के लिए कितनी सहूलियतें दी जाएं, इसका निर्धारण वित्त विभाग की राय लेकर नए सिरे से किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग ने सीएम से मिले सुझावों को नीति में शामिल करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।